राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6309/2024

1. उर्वशी बिश्नोई पुत्री अविनाश बिश्नोई, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 31, पोलो 1st पावटा, जोधपुर, राजस्थान।
2. निहारिका बिश्नोई पुत्री अविनाश बिश्नोई, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 31, पोलो 1st पावटा, जोधपुर, राजस्थान।
3. बेनु बिश्नोई पत्नी अविनाश बिश्नोई, उम्र लगभग 53 वर्ष साल, निवासी 31, पोलो 1st पावटा, जोधपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. देवांगिनी बिश्नोई पुत्री अनुराग बिश्नोई, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 31, पोलो 1st पावटा, जोधपुर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

<u>संलग्न</u>

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2836/2024

1. देवांगिनी पुत्री अनुराग बिश्नोई, उम्र लगभग 23 वर्ष, बी/सी बिश्नोई, निवासी 31, फर्स्ट पोलो, पावटा, जोधपुर।
2. दिव्य तेज पुत्र अनुराग बिश्नोई, उम्र लगभग 25 वर्ष, बी/सी बिश्नोई, निवासी 31, फर्स्ट पोलो, पावटा, जोधपुर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. श्रीमती बेनु बिश्नोई पत्नी स्वर्गीय अविनाश बिश्नोई, वृद्ध लगभग 50 वर्ष, बी/सी बिश्नोई, निवासी 31, फर्स्ट पोलो, पावटा, जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री अमित गौर
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एसआर चौधरी, पीपी
		सुश्री योगिता मोहनानी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>18/09/2024</u>

1. पुलिस स्टेशन महामंदिर, जिला जोधपुर सिटी ईस्ट में दर्ज एफआईआर संख्या 188/2024 दिनांक 20.04.2024 और आईपीसी की धारा 323, 341 और 34 के तहत सभी बाद की कार्यवाही, साथ ही उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य एफआईआर संख्या 187/2024 दिनांक 20.04.2024 और आईपीसी की धारा 341, 323, 354, 509 और 34 के तहत सभी कार्यवाही को उपरोक्त दो याचिकाओं में रद्द करने की मांग की गई है।

2. दोनों याचिकाओं में परिवार के सदस्य शामिल हैं और तथ्यों से पता चलता है कि एफआईआर पारिवारिक विवाद से उपजी थी, जिसके परिणामस्वरूप क्रॉस-शिकायतें/एफआईआर हुईं।

3. सर्वप्रथम, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उनके मुवक्किल/प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एफआईआर निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप न लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

4. एस.बी. क्रिमिनल मि. (पेट.) संख्या 2836/2024 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तावित समाधान से सहमत हैं और कहते हैं कि उपरोक्त कथन के मद्देनजर उनके मुवक्किल भी इस शिकायत/एफआईआर में कोई आरोप नहीं लगाएंगे।

5. पक्षों के बीच बनी सहमति को देखते हुए, एफआईआर को बरकरार रखने का कोई उचित कारण नहीं है, खासकर सामाजिक शांति और पारिवारिक सद्भाव को बहाल करने के हित में।

6. न्यायालय का प्राथमिक उद्देश्य पारिवारिक बंधन को मजबूत करना होना चाहिए, न कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह को बढ़ावा देना। मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत और घरेलू मुद्दा है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी/शिकायतकर्ता दोनों ने

एफआईआर को रद्द करने के लिए आपसी सहमति जताई है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोप न लगाने की सहमति दी है।

7. दो एफआईआर जारी रखने से पारिवारिक तनाव बढ़ेगा और रिश्तेदारों के बीच दरार और गहरी होगी। आरोप किसी आपराधिक इरादे या गंभीर गलत काम के बजाय पारिवारिक झगड़े से उत्पन्न हुए हैं।

8. पारिवारिक संबंध सर्वोपरि हैं और इसलिए परिवारों के भीतर एकता बनाए रखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

9. उपरोक्त के आलोक में, पुलिस स्टेशन महामंदिर, जिला जोधपुर सिटी ईस्ट में दर्ज एफआईआर संख्या 188/2024 दिनांक 20.04.2024 और आईपीसी की धारा 323, 341 और 34 के तहत सभी संबंधित कार्यवाही, साथ ही एफआईआर संख्या 187/2024 दिनांक 20.04.2024 और आईपीसी की धारा 341, 323, 354, 509 और 34 के तहत सभी संबंधित कार्यवाही, दोनों मामलों में रद्द की जाती हैं।

10. तदनुसार याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।